न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 90/2018

1 सीताराम पुत्र गणपत।
2 लक्ष्मण पुत्र गणपत।
3 जगन पुत्र गणपत।
4 मांगी देवी पत्नी गणपत।
5 विमला देवी पत्नी सागरमल।
6 राहुल पुत्र सागरमल समस्त जाति जाट निवासीगण मचौड़ीयावाला तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्यामलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी मियां की ढ़ाणी तन शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 रामचन्द्र पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 छीतरमल पुत्र जीवराज।
4 राजवीर पुत्र जीवराज।
5 श्योकोरी पत्नी जीवराज।
6 हरदेव पुत्र मेदाराम (फौत)।
6/1 ग्यारसी देवी पत्नी हरदेव।
6/2 महेन्द्र कुमार पुत्र हरदेव।
6/3 झाबरसिंह पुत्र हरदेव।
6/4 कस्तूरी पुत्री हरदेव।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6/5 राधा देवी पुत्री हरदेव समस्त जाति जाट निवासीगण मचोड़ायावाली तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 श्रीमती विधा हरितवाल पत्नी मुरलीधर हरितवाल जाति जाट निवासी झुरमुट होटल एन.एच. 52 परसरामपुरा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 गीता देवी पत्नी सुरजमल।
9 सुरजलम पुत्र भूदाराम समस्त जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 9 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
11 शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी बैंक शाखा चौमू जिला जयपुर।
12 शाखा प्रबन्धक सिडीकैंट बैंक शाखा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर।
13 शाखा प्रबन्धक एसबी.आई. शाखा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.10.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन
अधिकारी श्री ब्रहम्लाल जाट आर.ए.एस. दावा उनवानी
श्यामलाल बनाम रामचन्द्र आदि मुकदमा 106/2017

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 02.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी श्यामलाल ने विचारण न्यायालय में राजस्व ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर खसरा नम्बर 313/3,1027/2, 298,299,300,310,311,312,1026, 1028,1029,1030 बाबत घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 30.10.2017 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की समयक तामील नही हुई है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में उल्लिखित गवाहान स्थानीय नही है। विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश विधि विरूद्व किया गया है। विचारण न्यायालय में राजीनामा करने वाले प्रतिवादी संख्या 5/2 से 5/5, 10,13,14 वादी के ही व्यक्ति है। अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमियों के सम्बन्ध में राजीनामा करने का इनको कोई अधिकार नही था। यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में विशेष भू–भाग का विक्रय नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को सुना नही गया। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही हुई जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। धारा 5 का आवेदन एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि क्रय की है वादी को जहां कब्जा दिया गया था। वादी वही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पर काबिज है। वादी ने इसी अनुसार बंटवारे का दावा पेश किया गया था। तहसीलदार ने मौका देखकर मौका रिपोर्ट की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की विधिवत एवं सम्यक तामील हुई है। तामील के उपरान्त उपस्थित नही होने पर विचारण न्यायालय में विधि प्रक्रिया अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये मुताबित राजीनामा दावा डिक्री किया है। अपीलांट को तामील का बिन्दु विचारण न्यायालय में उठाना चाहिए था। अपीलांट ने कब्जे/रहवास बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है। वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार ही काबिज है। अपीलांट ने वादी के विक्रय पत्र को कभी चुनौती नही दी है। जानकारी की तिथि के उपरान्त भी हुये विलम्ब का अपीलांट ने दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया है। शेष सहकाश्तकारों ने कोई आपत्ति नही की है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा इनके तामीली नोटिस एक बार ही जारी किये गये है। इन नोटिसो पर इनकारी एवं चस्पान्दगी से तामील की रिपोर्ट नोटिस की पुस्त पर अंकित है। इस रिपोर्ट में बतौर गवाहान सभी नोटिसो पर समान गवाहो के नाम अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा चस्पान्दगी से तामील का कोई निर्देश नही दिया गया है। इन सभी नोटिसो की पुस्त पर तहसीलदार का सत्यापन नही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की तामील प्रथम दृष्टया सम्यक नही मानी जा सकती है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण विभाजन का था। विभाजन के सन्दर्भ में नियम 18 से 21 बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद पीठ ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे है कि 1– पक्षकारों में यदि बाहमी विभाजन हो रखा है तो साक्ष्य से प्रमाणित होना चाहिए, प्रस्तुत प्रकरण में विचारण

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर अधिकारी

न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नही है। 2— बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन हेतु तहसीलदार स्वंय द्वारा सभी पक्षकारों को सुचित कर मौका निरीक्षण करना चाहिए, किसी पक्षकार द्वारा उपस्थित होने के उपरान्त भी मौका रिपोर्ट पर उपस्थिति के हस्ताक्षर नही करने पर रिपोर्ट में अंकित होना चाहिए कि पक्षकार ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम तो मूलवाद में तहसीलदार से कोई मौका रिपोर्ट ही नही मांगी गई है। जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार की होना विचाराधीन निर्णय में अंकन किया गया है। यह मौका रिपोर्ट दावे के साथ प्रस्तुत टी.आई. आवेदन में आवेदन पेश करने के दिन ही अपीलांट की तामील से पूर्व ही मंगवाई गई है। यह मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में तैयार की गई हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है मौका रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा यह भी अंकन नही किया गया है कि अपीलांट को मौका रिपोर्ट हेतु सूचित किया गया अथवा नही, मौका रिपोर्ट के समय अपीलांट उपस्थित थे अथवा नही, यदि अपीलांट्स उपस्थित थे तो क्या उन्होने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था। अपीलांट के विरूद्व तहसीलदार से मौका रिर्पोट मंगवाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा टी. आई. आवेदन संख्या 80/2017 में दिनांक 23.06.2017 को अपीलांट के नोटिस जारी होने से पूर्व जारी किया गया है। अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2017 को मूलवाद में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा की गई तामीली कार्यवाही, मौका कमिश्नर रिपोर्ट का आदेश एवं मौका रिपोर्ट एवं पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुना नही गया है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अत न्यायहित में अपीलांट का आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कम संख्या 1 से 14 को प्रतिवादी बनाया गया था जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

राजीनामा के केवल मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5/1,5/2 एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के मध्य प्रस्तुत हुआ है। अन्य किसी पक्षकार की राजीनामे में उपस्थिति नही है ऐसी स्थिति में 14 में से 4 प्रतिवादी के राजीनामे को आधार मानकर बिना विधिक प्रकिया के पारित किया गया विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें, तनकीयात कायम करें, बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर